आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से., **जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2013 को अपराह्न 03.00 बजे समाहरणालय सभा कक्ष में दुर्गा पूजा एवं बकरीद पर्व, 2013 के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण हेतु असैनिक पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :**

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

–: कार्यवाही :–

पूर्व में दिनांक 23.09.2013 को **दशहरा एवं बकरीद पर्व, 2013** के अवसर पर जिला में विधि–व्यवस्था एवं शांति–व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त विभिन्न पहलुओं पर प्रारंभिक विचार–विमर्श हेतु प्रखंड विकास पदधिकारियों/अंचल अधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/वरीय पदाधिकारियों एवं पूजा समिति के आयोजकों के साथ बैठक सम्पन्न की गई थी।

उक्त बैठक में दिए गए निदेशों के आलोक में आप सबों के द्वारा किए गए कार्य सराहनीय रहा है। दशहरा एवं बकरीद पर्व, 2013 के अवसर पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने में आप सबों के सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

इस वर्ष बकरीद पर्व, दशहरा पर्व के समाप्ति के साथ ही दिनांक 16.10.2013 को मनाये जायेंगे और यह त्योहार प्रायः तीन दिनों तक मनाया जाता है। चूँकि दशहरा एवं बकरीद दोनों महत्वपूर्ण त्योहार एक साथ लगातार पड़ रहे हैं और दोनों त्योहार दो समुदायों से संबंधित है। इसलिए हाल के दिनों में घटित छोटी–बड़ी साम्प्रदायिक घटनाओं एवं आतंकवादी घटनाओं तथा गतिविधियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि त्योहार से पूर्व ही शरारती तत्वों/अफवाह फैलाने वालों तथा विद्वेष फैलाने वाले तथाकथित लोगों की समय रहते पहचान कर उनकी क्रिया–कलापों एवं गतिविधियों पर गहन निगरानी रखते हुए **त्वरित आसूचना संकलित** कर तद्नुसार आवश्यक प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई सहित सुरक्षात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई की जाय ताकि साम्प्रदायिक सौहार्द, आपसी भाई–चारा एवं शांति कायम रह सके तथा किसी तरह की विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न होने पावे।
कोई भी छोटी घटना व मामले को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज न किया जाय।
अतः विशेष सजगता, सतर्कता एवं सक्रियता हेतु सबों को निदेशित किया गया।

जिला में दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा समितियों द्वारा प्राप्त किए गए अनुज्ञप्तियों की स्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया :–

प्रखंड	थाना	अनुज्ञप्ति प्राप्त पंडालों की सं.	प्रखंड	थाना	अनुज्ञप्ति प्राप्त पंडालों की सं.
1. पोठिया	1. पोठिया,	13	6. ठाकुरगंज	9. ठाकुरगंज	17
	2. पहाड़कट्टा	11		10. गलगलिया	03
2. दिघलबैंक	3. दिघलबैंक	12		11. पौआखाली	09
	4. कोढ़ोबाड़ी	06		12. जियापोखर	02
	5. गर्वनडांगा	02		13. पाठामारी	02
3. बहादुरगंज	6. बहादुरगंज	19		14. सुखानी	02
				15. कुलीकोट	00
4. कोचाधामन	7. कोचाधामन	19	7 टेढ़ागाछ	16. टेढ़ागाछ	09
				17. फतेहपुर	01
				18. बीबीगंज	04
5. किशनगंज	8. किशनगंज	29 (34 आवेदन पत्र के विरूद्ध)			

पूजा में भीड़–भाड़ होना स्वाभाविक है, अतः पूजा बिना व्यवधान के हो तथा रोड के ऊपर पंडाल आदि न बने, इसे ध्यान में रखा जाय। साथ ही, भीड़ नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पूजा पंडालों में श्रद्धालु/लोगों को जाने एवं बाहर आने हेतु अलग–अलग प्रवेश एवं निकाश द्वार की व्यवस्था पर भी नजर रखने हेतु निदेशित किया गया एवं पंडाल में भीड़ न हो, इस हेतु आयोजक वोलेन्टियर्स/स्वयं सेवक को पहचान पत्र के साथ रखेंगे। इसे आयोजकों से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

2) दशहरा/बकरीद पर्व के अवसर पर विधि–व्यवस्था एवं सद्भाव बनाये रखने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को सतर्क एवं सचेष्ट रहते हुए क्षेत्र में स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी रखने हेतु निदेशित किया किया। साथ ही, निम्नांकित आदेश/अनुदेश दिए गए :–

1. किसी भी घटना की सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष घटना स्थल का स्वयं दौरा करेंगे तथा इसकी सूचना जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी पुलिस पदाधिकारी के साथ अपने क्षेत्र में लगातार गश्ती करेंगे तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष ध्यान रखेंगे। क्षेत्र में किसी भी तरह की घटना होने पर इसकी सूचना तुरंत उपलब्ध संचार के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी अलग नहीं रहेंगे। साथ ही, सूचनाओं का आदान–प्रदान करने हेतु सम्बन्धितों को निदेशित किया गया ताकि विधि–व्यवस्था का समुचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
3. पुलिस अधीक्षक, किशनगंज द्वारा बताया गया कि सभी थाना में QRT प्रतिनियुक्त है ताकि कोई भी अप्रिय घटना होने पर तुरंत घटना स्थल पर प्रस्थान करें।
4. जिला नियंत्रण कक्ष एवं प्रखंड में स्थापित नियंत्रण कक्ष अहर्निस कार्यरत रहे इसे सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।
5. प्रतिनियुक्त गश्ती दल दण्डाधिकारी उपलब्ध वायरलेस सेट/मोबाईल सेट का इस्तेमाल करेंगे। शहर के सड़क/गली एवं महत्वपूर्ण स्थान पर प्रकाश लगातार रहे इसे भी आयोयजक से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

विमर्शोपरांत यह भी निर्णय लिया गया कि –

(i) दशहरा एवं बकरीद, 2013 के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्गत संयुक्त आदेश में चिन्हित स्थलों पर प्रतिनियुक्ति की समीक्षा की गई और समीक्षोपरान्त सम्बन्धित प्रखंडों के अन्य चिन्हित स्थलों पर भी अलग से दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का निर्णय लिया गया, जो निम्नवत् है :–

- <u>दशहरा पर्व 2013 के लिए</u>

(क) किशनगंज प्रखंड :– कसेरापट्टी, तांतीवस्ती, फरिंगगोला
(ख) कोचाधामन प्रखंड :– भवानीगंज, अलता, मस्तान चौक
(ग) बहादुरगंज प्रखंड :– शिवपुरी महल्ला

3/4

(घ) ठाकुरगंज प्रखंड :– घांसीपूरा
(ङ) पोठिया प्रखंड :– दागलबाड़ी, हैकलबाड़ी, कलियागंज
(च) दिघलबैंक प्रखंड :– टप्पु
(छ) टेढ़ागाछ प्रखंड :– बीबीगंज

- **<u>बकरीद पर्व 2013 के लिए</u>**

(क) किशनगंज प्रखंड :– कदमरसूल, खनका
(ख) ठाकुरगंज प्रखंड :– खारूदह
(ग) पोठिया प्रखंड :– रतनपुर, डांगीवस्ती / सरस्वती
(घ) दिघलबैंक प्रखंड :– कुढ़ैली

(ii) सिविल सर्जन, किशनगंज किसी भी आकस्मिकता से निपटने हेतु सचेष्ट रहने तथा **आपातकालीन चिकित्सा सेवा** बहाल रखने हेतु निदेशित करना सुनिश्चित करेगे। साथ ही एम्बुलेंश को हर तरह से तैयार रखेंगे ताकि किसी भी आकस्मिकता में तत्क्षण उपयोग किया जा सके। साथ ही एक एम्बुलेंश को पौआखाली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध रखेंगे।

(iii) कैम्प कोर्ट की निर्धारित तिथियों से थानाध्यक्ष को अवगत कराया गया तथा निदेशित किया गया कि कैम्प कोर्ट की निर्धारित तिथि को प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे और विधि--व्यवस्था के मद्देनजर सम्बन्धित व्यक्तियों का कैम्प कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे।

(iv) स्थापित जिला नियंत्रण कक्ष में पालीवार में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /कर्मी उपस्थिति पंजी में आगमन एवं प्रस्थान का समय अंकित करेंगे। साथ ही कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी प्रविष्टि संधारित पंजी में करते हुए उपस्थित दण्डाधिकारी एवं उच्चाधिकारियों को अग्रेतर कार्रवाई हेतु सम्प्रेषण करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला नियंत्रण कक्ष में एक अस्थायी दूरभाष स्थापित करने तथा विभागीय अथवा भाड़े की वाहन उक्त अवधि के लिए उपलब्ध कराने हेतु जिला नजारत उप समाहर्त्ता, किशनगंज को निदेशित किया गया।

(v) पूजा स्थलों/मंडपों एवं मुख्य मार्ग आदि में छेड़खानी आदि की घटना न हो, इस पर विशेष चौकसी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/थानाध्यक्ष/महिला थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे। साथ ही छेड़खानी की रोकथाम हेतु कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु मुख्य स्थलों पर सादे लिवास मे महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाय।

(vi) जिला मुख्यालय के प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर प्रशिक्षित गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, किशनगंज समयपूर्व सुनिश्चित करेंगे।

(vii) किशनगंज, ठाकुरगंज एवं पोठिया रेलवे स्टेशनों पर विशेष चौकसी बरतने हेतु निदेशित किया गया।

(७५)

(viii) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज / नगर पंचायत, ठाकुरगंज एवं बहादुरगंज तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि पूजा स्थल एवं नमाज स्थलों की साफ सफाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही नमाज स्थल विवादित न हो इसे समय पूर्व सुनिश्चित करते हुए नमाज स्थलों में पशुओं आदि के प्रवेश आदि पर ध्यान रखने हेतु निदेशित किया गया।

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह./–
(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 1197/सी., किशनगंज, दिनांक 9/10/2013.

प्रतिलिपि :— जिला प्रबंधक, आई.टी., समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष (महिला/एस.सी./एस.टी. थाना सहित), किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अनुमंडल दंडाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अपर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन/उप विकास आयुक्त/ सिविल सर्जन/जिला नजारत उप समाहर्त्ता/वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य प्रशाखा/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला अग्निशाम पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र, अपर समाहर्त्ता–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, /प्रखंडों मे प्रतिनियुक्त वरीय प्रभारी पदाधिकारी, दशहरा एवं बकरीद पर्व, 2013 किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— पुलिस अधीक्षक, किशनगंज/पुलिस अधीक्षक, रेल, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ।

9/10/13

(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।